

**अधिसूचना संख्या 203/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1990(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ 627(ई) दिनांक 12.03.2013 द्वारा, केन्द्र सरकार ने "दीपक फाउंडेशन, दीपक फार्म, हरिकृपा सोसाइटी के सामने, टीबी अस्पताल गोत्री रोड के पास, वडोदरा-390021" द्वारा क्रम संख्या 22 पर "सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान, वडोदरा जिला, गुजरात" को पात्र परियोजना या योजना के रूप में, वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कोष निधि के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान, जिला वडोदरा, गुजरात" योजना या परियोजना को अधिसूचित करता है, जिसे "दीपक फाउंडेशन, दीपक फार्म, हरिकृपा सोसायटी के सामने, टीबी अस्पताल गोत्री रोड के पास, वडोदरा-390021" द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए कोष निधि के रूप में 10.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना कार्यान्वित किया जा रहा है।

■ ■